

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 25.2.2026

सं0सं0-10/स्था0(मु0)-26/2023-1158./ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत बिहार बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-** (1) यह नियमावली बिहार बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- परिभाषाएँ।-** इस नियामवली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:-
 - "संवर्ग" से अभिप्रेत है बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग;
 - "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
 - "नियंत्रि पदाधिकारी" से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
 - "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
 - "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
 - "सदस्य" से अभिप्रेत है बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;
 - "गृहों" से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं इसके संगत नियमावली तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के तहत संचालित गृह एवं मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अंतर्गत संचालित वृहद् आश्रय गृह;
 - "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक
 - "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्वद, बिहार के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;
 - "बिपार्ड" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (संगठन), नियमावली, 2005 के तहत संचालित "बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)";
- संवर्ग की संरचना।-** (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:-

क्र०	कोटि का नाम एवं पद की प्रस्थिति	संवर्ग का स्तर
(क)	बाल संरक्षण पदाधिकारी	मूल कोटि (अराजपत्रित)

- यह संवर्ग समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राज्य स्तरीय संवर्ग होगी।
- इस संवर्ग के पदों का वेतनमान तथा स्वीकृत बल वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

नियुक्ति का स्रोत।-

- बाल संरक्षण पदाधिकारी के कुल स्वीकृत बल का 75% पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 25% पद समाज कल्याण निदेशालय के योग्यताधारी बाल संरक्षण के अधीक्षक संवर्ग से प्रोन्नति के द्वारा भरा जाएगा।
- सीधी भर्ती से नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर बाल संरक्षण पदाधिकारी की कोटि में की जाएगी।

- (iii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 01ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आयोग को आरक्षण कोटिवार अधियाचना देंगे।
- (iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा करेगा।
- (v) अधिकृत बल का 10% (दस प्रतिशत) तक पद बिहार राज्य के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरे जाएँगे। राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली" के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत की जायेगी।

4. अर्हता।-

- (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होगी।
- (ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
- (iii) उम्र की गणना के लिए विज्ञापन वर्ष की 01 ली अगस्त कट-ऑफ-डेट होगी।

5. **आरक्षण।-** भर्ती एवं प्रोत्रति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

6. **परिवीक्षा।-** आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

7. प्रशिक्षण।-

- I. आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- II. प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
- III. संवर्ग के कर्मियों के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण का मापदंड बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग से निर्धारित किया जाएगा।


7. **विभागीय परीक्षा।-** विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा में विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित की जायेगी। विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद/बिपार्ड द्वारा किया जायेगा।

8. **सम्पुष्टि।-** परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा उक्त अवधि की चारित्री संतोषप्रद होने के बाद सेवा सम्पुष्ट किया जाएगा।

9. **वरीयता।-** संवर्ग के मूल कोटि पर सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति एवं भर्ती वर्ष के अनुसार होगी। किसी पंचांग वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे, परंतु मेधावी खिलाड़ी के आधार पर नियुक्त कर्मि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

10. **अवशिष्ट मामले।-** ऐसे मामलों जिनके संबंध में जो इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं है; में संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रवृत्त प्रावधानों से शासित होंगे।
11. **कठिनाइयों का निराकरण।-** इस नियमावली में किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर विभाग, विधि विभाग के परामर्श से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।
12. **शिथिल करने की शक्ति।-** जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ राज्य सरकार समुचित आदेश द्वारा, कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सदस्य या सदस्यों के समूह के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेंगी।
13. **निर्वचन।-** जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो, तब सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया गया निर्वचन अंतिम होगा।
14. **निरसन और व्यावृत्ति।-**
- (i) बिहार बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 एवं इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित समझे जाएँगे।
- (ii) परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमावली/संकल्प/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण आदि के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय समझा जायेगा मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन कोई वैसा कोई कार्य किया गया अथवा कोई निर्णय लिया गया था।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-26/2023-.....1158..... पटना, दिनांक-.....25.2.2026.....

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-26/2023-.....1158..... पटना, दिनांक-.....25.2.2026.....

प्रतिलिपि:-सदस्य, राजस्व पर्वद/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड को सूचनार्थ प्रेषित।




अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-26/2023-.....1158..... पटना, दिनांक-.....25.2.2026.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0द0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन

सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-26/2023-.....1158..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी एवं विभागीय आई0टी0मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

Government of Bihar
Department of Social Welfare
(Directorate of Social Welfare)

-:: Notification ::-

Patna, Date- 25.2.2026...

File No.-10 /Estb. (Hq.)- 26/2023- 1158./- In exercise of the powers conferred under the proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules to regulate recruitment and service conditions of **Bihar Child Protection Officer** Cadre under the Directorate of Social Welfare under the control of the Social Welfare Department.

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called as the "**Bihar Child Protection Officer Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2026**".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.-**In these rules unless otherwise required in the context, -
 - (i) "**Cadre**" means the Child Protection Officer Cadre;
 - (ii) "**Commission**" means the Bihar Staff Selection Commission;
 - (iii) "**Appointing Authority**" means the Director, Directorate of Social Welfare
 - (iv) "**Controlling Officer**" means the Director, Directorate of Social Welfare;
 - (v) "**Due Date**" means the date on which these rules come into force;
 - (vi) "**Direct Recruitment**" means appointment on the basis of a competitive examination conducted by the Bihar Staff Selection Commission;
 - (vii) "**Member**" means a person appointed in the cadre of Child Protection Officer;
 - (viii) "**Homes**" means homes operated under the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and its relevant rules and as amended from time to time and Vrihad shelter homes operated under the Chief Minister Child Shelter Development Scheme;
 - (ix) "**Year**" means the financial year i.e. from 1st April to 31st March of the following year;
 - (x) "**Central Examination Board**" means the Central Examination Board under the control of the Board of Revenue, Bihar for conducting and regulating the departmental examinations for Government servants appointed to various posts;
 - (xi) "**BIPARD**" means the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD) operating under the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (Organisation) Rules, 2005 notified by the General Administration Department;
3. **Structure of Cadre.-** (i) The structure of this cadre shall be as follows:-

Sl. No	Name of the category and status of the post	Cadre Level
(a)	Child Protection Officer	Basic grade (Non-Gazetted)

- (ii) This cadre will be a State level cadre under the administrative control of the Directorate of Social Welfare.
 - (iii) The pay scale and sanctioned strength of the posts of this cadre will be the same as decided by the State Government from time to time.
4. **Source of appointment.-**
 - (i) 75% of the total sanctioned strength of Child Protection Officer shall be filled by direct recruitment and 25% by promotion from the qualified Superintendent Cadre of Child Protection Officer of the Directorate of Social Welfare.

- (ii) Appointment by direct recruitment shall be made in the category of Child Protection Officer on the recommendation of the Commission.
 - (iii) The Appointing Authority shall calculate the vacancies as on 1st April every year and submit the reservation category wise requisition to the Commission by 30th April.
 - (iv) The Commission shall advertise the vacancies and select successful candidates on the basis of competitive examination and recommend the names of the candidates in order of merit, reservation category wise, to the appointing authority.
 - (v) Up to 10% (ten percent) of the authorized strength will be filled by outstanding national level sportspersons from the State of Bihar. Appointments of outstanding national level sportspersons will be made under the provisions of the "Bihar Appointment of Outstanding Sportspersons Rules" of the General Administration Department.
5. **Qualification.-**
- I. Minimum educational qualification will be graduation from any recognized university.
 - II. The minimum age limit for recruitment shall be 21 years and the maximum age limit shall be as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.
 - III. The cut-off date for calculating age will be 1st August of the advertisement year.
6. **Reservation.-** In recruitment and promotion, it will be necessary to follow the reservation/roster notified by the State Government from time to time.
7. **Probation.-** Government servants appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission shall be on probation for one year. If the service during the probation period is not satisfactory, it may be extended for one further year. If the service during the extended period is not satisfactory, the service may be terminated.
8. **Training.-**
- I. A Government servant appointed to the service on the recommendation of the Commission shall undergo such induction training as may be prescribed by the Government during the period of probation.
 - II. During the training period, the concerned government servant will also have to pass the examination prescribed by the training institute.
 - III. The criteria for induction training for the personnel of the cadre will be determined separately in coordination with the BIPARD.
9. **Departmental Examination.-** The departmental examination will be conducted by the Revenue Board, Bihar. The subjects, syllabus, and procedures for the departmental examination will be determined by the Central Examination Committee, Revenue Board, in consultation with the department. The departmental examination will be conducted by the Revenue Board/BIPARD.
10. **Confirmation.-** The service will be confirmed after satisfactory service during the probation period, completion of the prescribed induction training, passing all the papers of the prescribed departmental examination and satisfactory character during the probation period.
11. **Seniority.-** The inter-se seniority of members appointed by direct recruitment to the basic category of the cadre shall be determined by the Commission in accordance with their merit position and year of recruitment. Appointed by promotion in any calendar year shall be senior to those appointed by direct recruitment, but those appointed on the basis of meritorious sportspersonship shall be junior to those appointed by direct recruitment. The inter se seniority determined before the coming into force of these rules shall remain unchanged.

12. **Residuary matters.-** In such matters which are not specifically provided for in these rules, the members of the cadre shall be governed by the provisions in force for the officers/employees of equivalent level of the State Government.
13. **Removal of difficulties.-** If any difficulty arises in implementing any provision of these rules, the department may, in consultation with the Law Department, by general or special order, make such provision which is not inconsistent with the provisions of these rules and is necessary and expedient for removing the difficulty.
14. **Power to relax.-** Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, the State Government may, by appropriate order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any member or group of members.
15. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the interpretation given by the Department in consultation with the General Administration Department shall be final.
16. **Repeal and Savings.-**
- (i) The Bihar Child Protection Officer Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014 and all resolutions and instructions issued earlier in respect of this cadre shall be deemed to be repealed hereby.
- (ii) But notwithstanding such repeal, anything done or any decision taken under the earlier rules/resolution/order/circular/clarification etc. shall be deemed to have been done or any decision taken under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or any decision was taken.

By order of the Governor of Bihar


Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10 /Estb. (Hq.)- 26/2023-....1158.....

Patna, Dated-....25.2.2026.....

Copy to:- E-gazette cell, Finance Deptt., Government of Bihar, Patna with C.D. and hard Copy for Publication in Bihar Official Gazette.


Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10 /Estb. (Hq.)- 26/2023-.....1158.....

Patna, Dated-....25.2.2026.....

Copy to:- Member, Revenue Board/ All Departmental Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna/ Director General, BIPARD, Patna for information.



Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10 /Estb. (Hq.)- 26/2023-.....1158.....

Patna, Dated-....25.2.2026.....

Copy to:- Accountant General (A&E), Bihar, Patna/ Officer-in-Charge, Finance (Personal Claims Fixation Cell) Department, Bihar, Patna/ Managing Director, Women and Child Development Corporation/ Director, ICDS Directorate/ Director, Social Security Directorate/ Director, Social Welfare Directorate/ Director, Empowerment of Persons with Disabilities Directorate/ Secretary, Bihar Child Rights Protection Commission, Patna/ Chief Executive Officer, SAKSHAM, Patna/ State Commissioner for Disability, Office of the State Commissioner for Disability (Divyangjan)/Vice-Chairman, State Child Protection Committee, Patna/ Chairperson, Bihar State Women Commission/


All Divisional Commissioners, Bihar/All District Magistrates, Bihar/ All Assistant Directors, District Child Protection Unit, Bihar for information and necessary action.


Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10 /Estb. (Hq.)- 26/2023-.....1158.....

Patna, Dated-.....25.2.2026.....

Copy to:- Private Secretary to Hon'ble Minister/ Principal Private Secretary to Departmental Secretary/All departmental officers and departmental IT Manager (for uploading on departmental website) for information.


Additional Secretary,
Social Welfare Department.